

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 09.05.2019

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SBCWP No. 7649/2017, SBCWP No. 7768/2017, SBCWP No. 7650/2017 एवं SBCWP No. 7750/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 की अनुपालना में व्याख्याता-अर्थशास्त्र (कॉलेज शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थी रोल नम्बर 198943, 101183, 184986 एवं 108250 का साक्षात्कार उपरान्त परिणाम घोषित किया जाता है। उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा पूर्व घोषित साक्षात्कार उपरान्त परिणाम दिनांक 07.07.2017 के क्रम में निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थियों को मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थी को प्राप्तांकों के आधार पर **मुख्य सूची** में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

S.No	Roll No.	Category	Merit No.	Category Type
01	144094	SC, WE, RG, NG	M-45 A	SCF

2. मुख्य सूची के मेरिट क्रमांक M-47 को मुख्य सूची से विलोपित किया जाता है।
3. निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थी को प्राप्तांकों के आधार पर **आरक्षित सूची** में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

S.No	Roll No.	Category	Merit No.	Category Type
01	198943	GEN, RG, LD (OL)	R-31-A	GENM, LD
02	108250	SC	R-36-A	SCM
03	182393	SC, RG	R-45-A	SCM

4. अभ्यर्थी रोल नम्बर 101183 एवं 184986 प्राप्तांकों के आधार पर अचयनित रहते हैं।
5. आरक्षित सूची के मेरिट क्रमांक R-32, R-34 तथा R-47 को आरक्षित सूची से विलोपित किया जाता है।
6. उक्त परीक्षा के अन्तर्गत जारी परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.याचिका संख्या 655/2018 में दिनांक 01.02.2018 में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका एस.एल.पी. नम्बर 26791/18 राज्य सरकार बनाम हेमराज मीणा में होने वाले निर्णय के अध्यक्षीय रहेगा।

(दीप्ति शर्मा)
संयुक्त सचिव